प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 09.09.2020 (थाना आसपुर देवसरा)

07 वर्ष की बच्ची का अपरहरण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार बच्ची सकुशल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 09.09.2020 को जनपद के थाना आसपुर देवसरा पुलिस को 07 वर्ष की बच्ची का अपहरण करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद करनें में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

01. सरिता सरोज पुत्री विमलेश सरोज नि0 देवगढ़ कमासी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. अमरजीत पुत्र राजमणि नि0 कनौरा पूरे खुशहारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रकाश में आये अभियुक्त का विवरणः–

01. विमलेश सरोज पुत्र स्व0 मुनरो नि0 देवगढ़ कमासी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थानः– तेलियानी पुलिया थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 08.09.2020 की वादी श्यामजी चौरसिया पुत्र रामशिरोमणि चौरसिया नि0 बरचौली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना आसपुर देवसरा में यह सूचना/तहरीर दी गयी कि बीती रात्रि में समय लगभग 10:00 बजे मेरी नातिन आभा उम्र 07 वर्ष जो कि हमारे घर के दलाने में अपनी नानी शकुन्तला के साथ चारपाई पर सो रही थी, जिसे सरिता सरोज पुत्री विमलेश सरोज नि0 देवगढ़ कमासी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उठा ले गयी है। हमारी लड़की इन्दू ने सरिता सरोज को सायं के सयम घर के सामने एक लड़के के साथ देखा था। सरिता सरोज व मेरा लड़का सदानन्द चौरसिया दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सरिता मेरे लड़के से शादी करने के लिए दबाव बनाती है, इसी कारण उसने मेरी नातिन आभा उम्र 07 वर्ष को उठा ले गयी है, वादी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0– 266/20 धारा 364 भादवि का अभियोग बनाम सरिता सरोज पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा उक्त प्रकरण में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी व अपहृत बच्ची की सकुश बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक आसपुर देवसरा को कडे निर्देश दिये गये, **इसी कम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री अभिषेक प्रताप के निकट पर्यवेक्षण में** पुलिस टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी व अपहृत बच्ची की सकुश बरामदगी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जाने लगी। इसी कम में आज दिनांक 09.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक आसपुर देवसरा सुनील कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर घटना में शामिल दो अभियुक्तों 01. सरिता सरोज व 02. अमरजीत सरोज उपरोक्त जो कि एक मोटर साइकिल से अपहृत बच्ची के साथ कहीं जा रहे थे को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के तेलियानी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया व अपहृत बच्ची की सकुशल बरामदगी की गयी।

<u>पूछताछ का विवरण :–</u>

पुलिस द्वारा कड़ाई से की गयी पूछताछ में अभियुक्ता सरिता सरोज ने बताया कि बच्ची आभा उम्र 07 वर्ष के मामा सदानन्द चौरसिया आईटीआई कालेज प्रतापगढ़ में मेरे साथ पढ़ता है। हम दोनों के बीच करीब 02 वर्षों से प्रेम–प्रसंग चल रहा है। अब सदानन्द चौरसिया व उसके परिवार वाले हमारी शादी के लिए मना कर रहे हैं और सदानन्द की शादी कहीं और कराना चाह रहे हैं। जब यह बात मैंने अपने बहन के लड़के अमरजीत से बतायी तो हम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाया कि यदि हम सदानन्द की भांजी आभा उम्र 07 वर्ष का अपहरण कर लेते हैं तो वो लोग दबाव में आकर मेरी शादी सदानन्द से कर देंगे। योजना के अनुसार हम दोनों ने मिलकर दिनांक 07.09.2020 को रात्रि के समय लगभग 10:00 बजे सदानन्द चौरसिया के घर से उसकी भांजी आभा जो कि अपने नानी के साथ सो रही थी को उठाकर इसी मोटर साइकिल जो कि हमारे पास से बरामद हुई है, से अपने घर ले आये। मैनें यह सारी बात अपने पापा (विमलेश सरोज) को बतायी तो पापा ने हम दोनों व बच्ची आभा को हमारे घर में छुपाकर रख लिया। जब सदानन्द के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को देकर मुकदमा लिखवा दिया तो मेरे पापा डर गये और कहे कि इस बच्ची को इसके नाना के घर के आस–पास कहीं छोड़ आओ। हमदोनों आज सुबह के समय जल्दी से इस बच्ची को इसके नाना के घर के आस–पास कहीं छोड़ने जा ही रहे थे कि आप लोगों ने हमे पकड़ लिया। दूसरे अभियुक्त अमरजीत ने भी अभियुक्ता सरिता सरोज द्वारा बतायी गयी बातों का समर्थन किया।

<u>पुलिस टीमः–</u>

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार मय हमराह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़